जागरण

व्यापारियों को बड़ी राहत, जीएसटी से पहले के मुकदमों व बकाये के निपटारे को एकमुश्त समाधान योजना लाएगी यूपी सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा कि जीएसटी और वैट की चोरी व लीकेज को बंद करने के लिए अभी और काम करने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा अन्य तकनीक का प्रयोग करते हुए कर चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाकर प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के प्रयास किए जाएं।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार व्यापारियों को बड़ी राहत देने के लिए जीएसटी से पहले के मुकदमों और बकाये के त्वरित निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करेगी। इससे जहां व्यापारियों को पुराने लंबित मामलों से निजात मिलेगी, वहीं सरकार को राजस्व प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों के भीतर ओटीएस लागू करने का निर्देश दिया है। वहीं जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए उन्होंने प्रदेश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन में राजस्व संग्रह सेक्टर के विभागों की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017-18 में संग्रहित 58 हजार करोड़ रुपये के सापेक्ष 2021-22 में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है। राज्य की आय बढ़ी है तो लोककल्याण के कार्यक्रम किए जा रहे है। राज्य के बजट आकार के साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। यह जनता का धन है जिसका उपयोग लोककल्याण के कार्यक्रमों में होगा।

कोविड काल की चुनौतियों के बावजूद प्रदेश के जीएसटी और वैट संग्रह में लगातार हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह भी कहने से नहीं चूके कि जीएसटी और वैट की चोरी व लीकेज को बंद करने के लिए अभी और काम करने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा अन्य तकनीक का प्रयोग करते हुए कर चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाकर प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के प्रयास किए जाएं।

योगी ने कहा कि जीएसटी आडिट प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की जरूरत है। व्यापारियों का चयन जीएसटीएन द्वारा विकसित बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर अधिकरण, प्रथम अपील न्यायालयों में लंबित सभी वैट अपीलों का निस्तारण कराया जाए। व्यापारियों की सुविधा के लिए प्रथम अपील की सुनवाई को फेसलेस करने के प्रयास हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम राज्य है। जीएसटी में ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को पंजीकृत करने के लिए जागरूकता अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। अगले 100 दिनों में व्यापारिक संगठनों, बार एसोसिएशन से नियमित संपर्क व संवाद करके इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों के देय रीफंड दावों का शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए।

राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में शुरू करें खनन अभियंत्रण का स्नातक कोर्स : भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में खनन अभियंत्रण का स्नातक कोर्स शुरू करने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अगले छह माह में बुंदेलखंड और पूर्वांचल की प्रमुख नदियों की तकनीकी संस्था से मिनरल मैपिंग कराकर नए खनन क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करने के लिए कहा। अगले दो वर्षों में प्रदेश के बाकी जिलों की मिनरल मैपिंग कराने और उपखनिजों के खनन क्षेत्र की संख्या में दोगुनी वृद्धि करने का भी निर्देश दिया।

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रवर्तन सेल का गठन : मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें दर्ज कराने के लिए निदेशालय स्तर पर 24 घंटे काम करने वाला काल सेंटर स्थापित किया जाए। खनन प्रशासन में आवश्यक पदों के सृजन के साथ प्रतिनियुक्ति पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रवर्तन सेल का गठन करें। रेल के माध्यम से उपखनिजों के परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे, आपूर्तिकर्ता और कार्यदायी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करें।

14 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिला : मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में खनन लूट और खसोट का अड्डा था। पिछले पांच वर्षों में एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत कार्यवाही हुई और वर्ष 2012-17 के सापेक्ष वर्ष 2017-22 में भूतत्व एवं खनिकर्म के मद में 250 प्रतिशत की वृद्धि के साथ करीब 14 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

उपभोग नहीं, शराब का उत्पादक राज्य बने यूपी : मुख्यमंत्री ने कहा कि आबकारी विभाग को उप्र को शराब के उपभोग राज्य की श्रेणी से ऊपर उठकर उत्पादक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नियोजित ढंग से प्रयास करना चाहिए। विभाग की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान योगी ने कहा कि आबकारी विभाग में दशकों तक इक्षसडिकेट का राज था। हमने नियोजित प्रयास से इसे समाप्त किया है। उन्होंने अवैध मदिरा बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को दें बढ़ावा : मुख्यमंत्री ने मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सिनेमाघरों के उच्चीकरण के लिए लागू की गई समेकित प्रोत्साहन योजना के तहत आने वाले पात्र आवेदकों के एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के दावों का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए।